

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
(दिनांक 06.09.2024)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 199/2024

GCMS NO :- 2024/392

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान :- सुन्दर सिंह बनाम राज0 सरकार

:-आदेश:-

दिनांक : 06.09.2024

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का भूरीवास की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नूहनिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 54, 120, 121 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नूहनिया	54, 120, 121	सुरेन्द्र पुत्र सहजाद सिंह	सुन्दर सिंह पुत्र सहजाद सिंह




क्रमांक :- राजस्व/2024/402

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. सुन्दर सिंह पुत्र सहजाद सिंह जाति राजपूत निवासी नूहनिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :- 9/9/24


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)